

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website: www.kvsangathan.nic.in

फा.11029-3/2018-केवीएस(प्रशासन. I)/Vol-II

दिनांक : 18.10.2019

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय रेलवे ईदगाह, आगरा स्टेशन, उत्तर प्रदेश उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है :-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय रेलवे ईदगाह, आगरा स्टेशन उत्तर प्रदेश	रेलवे अस्पताल कैम्पस, ईदगाह रेलवे कॉलोनी, ईदगाह आगरा - 282001 (उ.प्र.)

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2019-20 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।


(सौरभ जैन)

अपर आयुक्त (प्रशासन)

वितरण:

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- आयुक्त, के.वि.सं के निजी सचिव।
- अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) के.वि.सं के निजी सचिव।
- संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण.) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति



आजादी का
अमृत महोत्सव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18-संस्थागत क्षेत्र/18-Institutional Area

शहीद जीत सिंह मार्ग /Shaheed Jeet Singh Marg

नयी दिल्ली- 110016 /NEW DELHI - 110016

Tel: 011-26521841-260, 294

WWW.KVSANGATHAN.NIC.IN

फ.110333/2022-23/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/आगरा /221

दिनांक: 12.04.2022

उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आगरा संभाग (Agra Region)

विषय: सत्र 2022-23 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या फा.सं. 30035/स्टाफ स्ट्रेन्थ (सत्र 2022-23)/के.वि.सं.-क्षे.का.-आगरा/प्रशासन/4971 एवं 5107 क्रमशः दिनांक:03.01.2022 एवं 11.01.2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2022-23 से प्रदान की जाती है।


क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2022-23 के लिए कक्षाएँ/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	Bulandshahr (S-I)	Decreased one section in class-XI(Hum.) and sanctioned 2 nd section in class-XII(Hum.).
2	Etawah	No change.
3	Greater Noida	Decreased one section in class-XI(Sc.) and sanctioned 2 nd section in class-XII(Sc.).
4	Lalitpur	No change.
5	Muzaffarnagar (S-I)	Decreased one section in class-XI(Sc.) and sanctioned 2 nd section in class-XII(Sc.).
6	Muzaffarnagar (S-II)	Sanctioned 2 nd section in class-VIII.
7	Noida Sector-24 (S-II)	Sanctioned 4 th section in class-X.
8	KNN Ghaziabad (S-II)	Sanctioned 3 rd section in class-IX and one section in class-XII(Com.). Close class-XI(Com.)
9	Baoli, Baghpat	Sanctioned one section in class-IX.
10	SSG, CISF, Surajpur, Greater Noida	Sanctioned one section in class-IX.
11	Railway Idgah	Sanctioned one section in class-VIII.

अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त स्टाफ स्वीकृति हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही निम्नलिखित दस्तावेज (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु अविलंब प्रेषित करें।


“It should further be certified that the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation.”

1. समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A) - duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
2. आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु जारी किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
3. इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजें।

संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ दस्तावेज़ जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि जिन-जिन केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान कक्षाएँ हैं वहाँ पर पदों की संख्या भी नियमानुसार, यथासंभव समान होनी चाहिए।

भवदीया

(पल्लवी शर्मा)
उपायुक्त (शैक्षिक)

संलग्नक : यथोपरि।


प्रभारी प्राचार्य / Principal / IC
केन्द्रीय विद्यालय रेलवे इंदगाह
Kendriya Vidyalaya Railway Idgaah
आगरा / Agra


उपायुक्त / Dy. Commissioner
के. वि. स. / K.V.S.
संभागीय कार्यालय (R.O.)
आगरा / AGRA



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18-संस्थागत क्षेत्र/18-Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग /Shaheed Jeet Singh Marg
नयी दिल्ली- 110016 /NEW DELHI - 110016
Tel: 011-26521841-260, 294
WWW.KVSANGATHAN.NIC.IN

फ.110333/2023-24/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/आगरा /6962

दिनांक: 13.01.2023

उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आगरा संभाग (Agra Region)

विषय: सत्र 2023-24 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक staff strength के online web portal/ (printed copy) के माध्यम से सत्र 2023-24 के लिए कक्षाओं की स्वीकृति हेतु आपके द्वारा दिनांक 21.12.2022 को भेजे गए प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2023-24 से प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2023-24 के लिए कक्षाएँ/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	Rampur	No change.
2	Greater Noida	Decreased one section in class-XII(Sc.).
3	Bulandshahr (S-I)	Decreased one section in class-XII(Hum.).
4	Lalitpur	No change.
5	Baoli, Baghpat	Sanctioned one section in class-X.
6	SSG, CISF, Surajpur, Greater Noida	Sanctioned one section in class-X. No other change. <i>(once new building will be taken over, fresh proposal may be sent for additional classes as per requirement)</i>
7	Railway Idgah	Sanctioned one section in class-IX.
8	Muzaffarnagar (S-II)	Sanctioned 2 nd section in class-IX.
9	Noida Sector-24 (S-II)	No change.
10	KNN Ghaziabad (S-II)	Sanctioned 3 rd section in class-X and closed class-XII (Com.)

अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त स्टाफ स्वीकृति हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही निम्नलिखित दस्तावेज़ (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ इस कार्यालय को अभिम कार्रवाई हेतु अविलंब प्रेषित करें।


"It should further be certified that the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation."

- समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A)- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
- आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु जारी किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
- इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजें।

संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ दस्तावेज़ जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि जिन-जिन केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान कक्षाएँ हैं वहाँ पर पदों की संख्या भी नियमानुसार, यथासंभव समान होनी चाहिए।

संलग्नक : यथोपरि।


प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय रेलवे इंदगाह
आगरा - 282001


भवदीया
(पल्लवी शर्मा)
उपायुक्त (शैक्षिक)